

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)**

पीठासीन अधिकारी:—गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 47/19 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. बगता आत्मज गोकल गुर्जर निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. बरदा आत्मज हमीर गुर्जर निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नेनु आत्मज दुदा गुर्जर निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. लक्ष्मण आत्मज तुलछा गुर्जर निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. भागु आत्मज छोगा गुर्जर निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. आसु आत्मज छोगा गुर्जर निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. सुवा आत्मज छोगा गुर्जर निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. सुखा आत्मज रामा गुर्जर निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. देवा आत्मज चतरा गुर्जर निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. प्रभु आत्मज रूपा गुर्जर निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. नारायण आत्मज हीरा गुर्जर निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. नारायण आत्मज जगु गुर्जर निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. गोपी आत्मज जगु गुर्जर निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

2. हरिश टेलर —

अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 12.06.2019


पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कलालखेड़ी पटवार हल्का बोरणा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 726 रकबा 0.23 हैक्ट. आराजी संख्या 1070 रकबा 0.13 हैक्ट. आराजी संख्या 2512/1076 रकबा 0.06 हैक्ट. आराजी संख्या 2513/1095 रकबा 0.05 हैक्ट. आराजी संख्या 2514/1072 रकबा 0.07 हैक्ट. आराजी संख्या 2515/1091 रकबा 0.06 हैक्ट. आराजी संख्या 2516/692 रकबा 0.04 हैक्ट. कुल कित्ता 7 कुल रकबा 0.64 हैक्ट. भूमि राजस्व खाता संख्या 193 पर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी 2071 से 2074 तक मय नक्शा ट्रेस के साथ पेश हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा संबंधी के कोई मुस्तकिल निशानात नहीं होने से प्रार्थी को काश्त करने काश्त लाभ प्राप्त करने काश्त आदि काटने में दरिमियान पक्षकारान आपस में बराबर सीमा संबंधी विवाद बना रहता है। जिससे प्रार्थी को अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक हो गया है। विपक्षीगण उक्त आराजियात के चारों तरफ के पड़ोसी होन से उन्हे पक्षकारान बनाया गया। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को अंतिम बार दिनांक 26.02.2019 को कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढ़ी कराने से इंकार हो गये जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र

पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 26.02.19 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है और यह पार्थना पत्र अन्दर अवधि पेश है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 14.03.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 से 12 तक बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम कलालखेड़ी पटवार हल्का बोरणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 726 रकबा 0.23 हैक्ट. आराजी संख्या 1070 रकबा 0.13 हैक्ट. आराजी संख्या 2512/1076 रकबा 0.06 हैक्ट. आराजी संख्या 2513/1095 रकबा 0.05 हैक्ट. आराजी संख्या 2514/1072 रकबा 0.07 हैक्ट. आराजी संख्या 2515/1091 रकबा 0.06 हैक्ट. आराजी संख्या 2516/692 रकबा 0.04 हैक्ट. कुल किता 7 कुल रकबा 0.64 हैक्ट. भूमि राजस्व खाता संख्या 193 पर स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि में किसी भी प्रकार दखलंदाजी नहीं करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा दें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थी सक्षम न्यायालय में चाराजोही करे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील रायपुर में रुपये 100/- अक्षरे एक सौ रुपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 300/- अक्षरे तीन सौ रुपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावे।


गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 12.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा